संख्या-5/2020/186 /एक-5-2020-203/2007

प्रेषक,

राम सुमेर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्वऊ अनुभाग-5 लखनऊ :: दिनांक 19 जून, 2020

विषयः-मण्डलायुक्त कार्यालय बस्ती के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2594 /12(भवन)-66/97 (2) दिनांक 28 जनवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डमलायुक्त कार्यालय बस्ती के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु धनराशि रू0 1031.47 लाख की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के 05 प्रतिशत धनराशि रू0 51.57 लाख रोकते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 35.38 लाख शासनादेश संख्या-409/एक-5-2018-203/2007, दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 द्वारा अवमुक्त की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मण्डालायुक्त, कार्यालय बस्ती के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवेशष 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 51.57 लाख (रू0 इक्यावन लाख सत्तावन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रनक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (पूर्व नाम उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) शासनादेश संख्या-409/एक-5-2018-203/ 2007, दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। शेष शर्ते मूल शासनादेश के अनुसार यथावत रहेगी।

(3) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 मे उल्लिखित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य-व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-5-843/दस-2020 दिनांक 18 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राम सुमेर
संयुक्त सचिव।

संख्या-5/2020/186 (1)//एक-5-2020-203/2007:: तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- जिलाधिकारी, बस्ती् ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कांस्ट्रशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (पूर्व नाम उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) लखनऊ/ संबंधित परियोजना प्रबंधक।
8- राजस्व अनुभाग-6
9- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

सत्य प्रकाश
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।